UPRN120008642019

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात

मुकदमा अ० सं०–346/2017

सरकार बनाम कपूर सिंह आदि।

<u>आरोप</u>

मैं कृपा शंकर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण कपूर सिंह, आजाद, इन्द्र कुमार ,चन्द्र प्रकाश , मंजू देवी, सपना उर्फ बाबी व साधना सिंह यादव को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि आप अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा वादिनी के साथ क्रूरता कारित कर उसे घर से निकाल दिया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 498A भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त मुकदमा वादिनी के साथ मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 323 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि आप अभियुक्तगण ने उपरोक्तमुकदमा वादिनी को गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 504 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि आप अभियुक्तगण ने मुकदमा वादिनी से शादी में दहेज लिया तथा बाद में आपने उपरोक्त मुकदमा वादिनी से अतिरिक्त दहेज में फ्रिज, दो लाख रुपये व दो विश्वा जमांन की मांग की। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 3/4 डी०पी एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

कृपा शंकर

दिनांक 05/01/2022

सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर कानपुर देहात
ID NO.UP02625

उक्त आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

कृपा शंकर

दिनांक 05/01/2022

सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर कानपुर देहात
ID NO.UP02625